भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2597

सोमवार, 12 मार्च, 2018/21 फाल्गुन, 1939 (शक)

भविष्य-निधि ब्याज दर

2597. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज-दर और कम कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि पर कितनी ब्याज-दर उपलब्ध कराई जा रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज की दर का निर्धारण केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, ब्याज की दर का निर्धारण करने में, केन्द्रीय सरकार आत्म-संतुष्टि करेगी कि सदस्यों के खातों में जमा किए गए ब्याज में से निकाली गई राशि के परिणामस्वरूप ब्याज खाते पर अध्याहरण न हुआ हो। वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज की दर 8.65 प्रतिशत है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) ने वर्ष 2017-18 के लिए ईपीएफ अभिदाताओं के खातों में 8.55 प्रतिशत ब्याज-दर की राशि जमा किए जाने की सिफारिश की है।

*****